भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 654**

(जिसका उत्तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है)

**यूरोजोन संकट**

654. श्री राजकुमार धूत:

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या यह सच है कि यूरोजोन संकट के कारण हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अशोध्‍य ऋणों में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी बैंक-वार ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ग) सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्‍य बैंकों ने इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्‍मक उपाय किए हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

**(क) और (ख):** सरकार के पास उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 के दौरान ब्‍याज दरों में हुई बढ़ोतरी और धीमे होते आर्थिक विकास ने सभी श्रेणियों के उधारकर्ताओं, विशेषकर लघु एवं मंझोले उद्यमों की ऋण चुकाने की क्षमता पर प्रतिकूल असर डाला है जिसके परिणामस्‍वरुप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की अनर्जक आस्‍तियों (एनपीए) में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, जून-सितम्‍बर, 2011 तिमाही के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकतर बैंकों (पीएसबी) द्वारा एनपीए की प्रणाली-आधारित पहचान की पद्धति अपनाए जाने से भी बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी हुई है।

**(ग):** भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनुदेश दिए है कि प्रत्‍येक बैंक के लिए एक ऐसी ऋण वसूली नीति का होना अपेक्षित है जो प्राप्‍य राशि की वसूली के तौर-तरीकों, कमी लाने के लक्षित स्‍तर (समयवार), अनुमत्‍य घाटे/माफी के लिए मानदंड, माफी पर विचार किए जाने से पहले हिसाब में लिए जाने वाले कारक, निर्णय के स्‍तर, उच्‍चतर प्राधिकारियों को रिपोर्ट किए जाने और बट्टे खाते डाले गए/ छूट-प्राप्‍त मामलों की निगरानी के तरीके निर्धारित किए गए हों। किसी खाते के आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के तौर पर वर्गीकृत किए जाने की दशा में बैंक बकाया धनराशि की वसूली सुनिश्‍चित करने के लिए ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करें जिनमें ब्‍याज के साथ-साथ मूलधन राशि के लिए भुगतान समय-सारणी के पुनर्निर्धारण के उपरांत औपचारिक बातचीत करना, कानूनी नोटिस के जरिए ऋण कॉल बैक करना, वित्‍तीय आस्‍तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम, 2002) के अंतर्गत वसूली करना, ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी), लोक अदालतों में मुकदमें दायर करने सहित अन्‍य न्‍यायालयों आदि में मुकदमा दायर करना, एकबारगी निपटान (ओटीएस) प्रस्‍ताव या समझौता निपटान निष्‍पादित करना, आदि शामिल होते हैं। हालांकि, एनपीए की वसूली के लिए समग्र ऋण नीति के भाग के रूप में प्रत्‍येक बैंक की अपनी स्‍वयं की नीति होगी और बैकों द्वारा किए जाने वाले उपाय अलग-अलग हो सकते हैं।

आरबीआई द्वारा बैंकों को समय-समय पर यह भी सलाह दी गई है कि वे नया एनपीए सृजित होने की घटनाओं को रोकने के लिए ऋण मूल्‍याकंन एवं ऋण-उपरांत निगरानी को बेहतर करने के लिए प्रभावी उपाय करें और सभी श्रेणियों में मौजूदा एवं पुराने एनपीए को कम करने के लिए अधिक यथार्थवादी दृष्‍टिकोण अपनाएं।

बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे अपने स्‍वयं की ऋण जोखिम कार्य-नीति स्‍थापित करें। इसके अलावा, उनके लिए यह भी अपेक्षित है कि वे किसी खाते के एनपीए में परिवर्तित होने से पहले शुरुआती चेतावनी संकेतों को पकड़ें और सुधारात्‍मक उपाय सुझाएं। बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे एनपीए की निगरानी करें और वसूली/अन्‍य चैनलों के माध्‍यम से उन्‍हें कम करने के लिए कदम उठाएं। आरबीआई भी बैंकों के एनपीए स्‍तरों की अनवरत आधार पर निगरानी करता है।

\*\*\*\*